उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/का.परि./37/2023

Date 11/07/2023

सेवा में,

1. प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा, सम-कुलपति, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली।
2. प्रोफेसर डी0पी0 त्रिपाठी, प्रोफेसर-वास्तुशास्त्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,नई दिल्ली।
3. डॉ0 राकेश चन्द्र रस्तोगी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, खटीमा फाईबर्स लि0, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
4. श्री त्रिलोक सिंह चीमा, निदेशक-चीमा पेपर्स लि0, बाजपुर रोड़, काशीपुर, उधमसिंह नगर।
5. श्री प्रशान्त आर्या, अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (नामित प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)।
6. प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती, सम-कुलपति, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली(नामित प्रतिनिधि कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।
7. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक,कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
10. डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय, सह-आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. डॉ0 मंजरी अग्रवाल, सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 11 जुलाई, 2023 **(मंगलवार)** को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **कार्य परिषद** की **37वीं** बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

11/7/23

(प्रोफेसर रश्मि पंत)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रोफेसर रश्मि पंत)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

Teenpani Bypass, Haldwani - 263139, Nainital, Uttarakhand तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी – 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड
Tel.: 05946-286 000 • Toll Free No.: 1800 180 4025 • Fax: 05946-264 232 • E-mail: info@uou.ac.in • Website: www.uou.ac.in

दिनांक 11 जुलाई, 2023 (मंगलवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रात: 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 37वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1.	प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा, सम-कुलपति इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली। (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
3.	प्रोफेसर डी0पी0 त्रिपाठी, प्रोफेसर-वास्तुशास्त्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
4.	प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती, सम-कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली **(प्रतिनिधि-कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।** (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
5.	श्री प्रशान्त आर्या, अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, **(प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)** (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
6.	प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
7.	प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

11/7/23
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

8.	प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
9.	डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय, सह-आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
10.	डॉ0 मंजरी अग्रवाल, सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
11.	प्रोफेसर रश्मि पंत, कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव
12.	श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य
13.	प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा सभी उपस्थित सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 37वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तद्क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्य- प्रोफेसर डी0पी0 त्रिपाठी, एवं ऑनलाइन माध्यम से बैठक में उपस्थित प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा, प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती, श्री प्रशान्त आर्या एवं आन्तरिक सदस्य प्रोफेसर दुर्गेश पंत का विशेष आभार व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 37वीं बैठक में स्वागत किया गया।

कार्य परिषद के बाह्य सदस्य- श्री त्रिलोक सिंह चीमा एवं डॉ0 राकेश रस्तोगी द्वारा अपने व्यस्त कार्यक्रमों के फलस्वरूप कार्य परिषद की 37वीं बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 37.01- कार्य परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 29.12.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 29.12.2022 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/36/2022, दिनांक 29.12.2022 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों को इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्णय- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए पुनरावलोकन के बाद सर्वसम्मति से 36वीं बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.02- कार्य परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 29.12.2022 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 29.12.2022 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया।

निर्णयः- कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित प्रस्तावों से अवगत होते हुए तीन प्रस्तावों पर निम्नवत् कार्यवाही किये जाने की संस्तुति करते हुए शेष कार्यवाही पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:-

- **प्रस्ताव संख्या-36.16.02-** सहायक क्षेत्रीय निदेशक पदों के सादृश्य पदोन्नति हेतु पद सृजन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करते हुए शासन को पत्र प्रेषित करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।
- **प्रस्ताव संख्या-36.16.04-** विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित वर्ष 2010 से अद्यतन कार्यरत 14 कार्मिकों को विश्वविद्यालय में सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा/नियमित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून, जो कि ऑन-लाईन माध्यम से स्वंय बैठक में उपस्थित थे, से कार्य परिषद द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रकरण पर पुर्नविचार किया जाय, जिस पर शासन को एक बार पुन: पत्र प्रेषित किये जाने पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई व कुलसचिव को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
- **प्रस्ताव संख्या-36.16.08-** विश्वविद्यालय में परिवीक्षाधीन आचार्यो, सह-आचार्यो एवं सहायक आचार्यों की परिवीक्षावधि के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता/मुख्य शासकीय

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

11/7/23
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

अधिवक्ता श्री सी0एस0 रावत द्वारा दी गयी **विधिक राय (Legal Opinion)** से संबंधित सील बन्द लिफाफा कार्य परिषद के सम्मुख खोला गया जिस पर विधिक राय से अवगत होते हुए कार्य परिषद द्वारा **विधिक राय (Legal Opinion)** के अनुरूप संबंधित आचार्यों, सह-आचार्यों एवं सहायक आचार्यो की परिवीक्षावधि व नियमितिकरण से संबंधित प्रक्रिया को माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या- 511 of 2019 (S/B) में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबंध के अधीन समाप्त किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.03- विश्वविद्यालय योजना बोर्ड के गठन हेतु कार्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय पॉच (धारा 19) परिनियम 11(तीन) में योजना बोर्ड के गठन का उल्लेख है जिसमें विशेषज्ञता के विभिन्न पॉच क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को विशेषज्ञता के लिए कार्य परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले पॉच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हो नियुक्त करने का प्राविधान वर्णित है। पूर्व में योजना बोर्ड हेतु नामांकित पॉच विशेषज्ञों की नियुक्ति की अवधि दिनांक 03 जून, 2023 को समाप्त हो गयी है। किन्तु माननीय कुलाधिपति जी से विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक आहूत किये जाने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण नवीन योजना बोर्ड का गठन नहीं किया जा सका।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा योजना बोर्ड के गठन हेतु प्रस्तुत विषय विशेषज्ञों की सूची में से निम्न विशेषज्ञों के नामों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:-

क्रम सं0	विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति	नाम एवं पता
1.	वाणिज्यिक प्रबंधन	डॉ0 के0एन0 बुधानी, आई0आई0एम0, काशीपुर
2.	विद्वतापूर्ण वृत्तियां	प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
3.	विज्ञान/मानविकी/समाज विज्ञान/पर्यावरण	प्रोफेसर बी0एम0 कुमार, मानविकी एवं समाज विज्ञान महाविद्यालय, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
4.	दूरस्थ शिक्षा	प्रोफेसर उमेश चन्द्र पाण्डेय, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
5.	वाणिज्य तथा उद्योग	श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नवाबी रोड, हल्द्वानी।

11/7/23

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 37.04- **'विश्वविद्यालय कल्याण कोष' (University Welfare Fund) के संचालन हेतु निर्मित नियमावली में आंशिक संशोधन हेतु गठित समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

'विश्वविद्यालय कल्याण कोष' (University Welfare Fund) के संचालन हेतु निर्मित नियमावली में आंशिक संशोधन हेतु गठित समिति की संस्तुतियों का कार्य परिषद द्वारा अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.05- **विश्वविद्यालय के आदर्श अध्ययन केन्द्रों हेतु नामित समन्वयक एवं सहायक समन्वयकों के कार्यकाल निर्धारण के संबंध में विचार।**

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाईन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षार्थी सहायता केन्द्र एवं क्षेत्रीय केन्द्र मानक मापदण्ड नियमावली, 2022 के बिन्दु संख्या-16.09 में विश्वविद्यालय के आदर्श अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत समन्वयक एवं सहायक समन्यवकों का कार्यकाल चक्रानुक्रम में किये जाने की व्यवस्था प्राविधानित है, किन्तु संबंधितों के कार्यकाल की समयावधि निर्धारित नहीं है। विश्वविद्यालय के आर्दश अध्ययन केन्द्रों हेतु नामित समन्वयक एवं सहायक समन्वयकों के कार्यकाल की समयावधि निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>निर्णय:-</u> प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के आर्दश अध्ययन केन्द्रों हेतु नामित समन्वयक एवं सहायक समन्वयकों का कार्यकाल 03 वर्ष निर्धारित किया गया तथा संबंधितों का मनोनयन माननीय कुलपति जी द्वारा किये जाने पर निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.06- **डॉ0 देवेश कुमार मिश्र, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत द्वारा विश्वविद्यालय सेवाओं से त्याग-पत्र दिये जाने की सूचना।**

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 देवेश कुमार मिश्र, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत का इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सह-प्राध्यापक पद पर चयन होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित व्यवस्थानुसार दिनांक 31.12.2020 से दिनांक 30.12.2021, दिनांक 31.12.2021 से दिनांक 30.12.2022 तथा 31.12.2022 से 01 वर्ष की समयावधि तक कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। डॉ0 देवेश कुमार मिश्र द्वारा माननीय कुलपति जी को सम्बोधित ई-मेल से प्रेषित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनका इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,नई दिल्ली में सह-आचार्य, संस्कृत के पद पर दिनांक 31.12.2021 को स्थायीकरण हो गया है। तद्क्रम में डॉ0 मिश्र द्वारा इस विश्वविद्यालय से स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश की तिथि से सहायक प्राध्यापक, संस्कृत के पद से त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। डॉ0 देवेश कुमार मिश्र द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित अनुरोध पत्र पर

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

माननीय कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्क्रम में डॉ0 देवेश कुमार मिश्र का सहायक प्राध्यापक, संस्कृत पद से दिनांक 30.12.2020 (अपरान्ह) से त्याग-पत्र स्वीकृत किया गया है।

निर्णयः- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपति जी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.07 - डॉ0 जटाशंकर आर0 तिवारी, सह-प्राध्यापक, होटल प्रबन्धन द्वारा विश्वविद्यालय सेवाओं से त्याग-पत्र दिये जाने की सूचना।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 जटाशंकर आर0 तिवारी, सह-प्राध्यापक, होटल प्रबन्धन का इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सह-प्राध्यापक,पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा के पद पर चयन होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित व्यवस्थानुसार डॉ0 तिवारी को दिनांक 10.08.2021 से दिनांक 09.08.2022 तक 01 वर्ष का असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है। डॉ0 तिवारी द्वारा ई-मेल से प्रेषित पत्र दिनांक 02.08.2022 के माध्यम से असाधारण अवैतनिक अवकाश अवधि को धारणाधिकार सहित दिनांक 10.08.2022 से दिनांक 09.08.2023 तक विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। इस संबंध में कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 25 जून, 2022 द्वारा 01 वर्ष के उपरान्त असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार के विस्तारीकरण से पूर्व संबंधित संस्था से तदसंबंधी गोपनीय आख्या प्राप्ति उपरान्त विस्तारीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।

डॉ0 जटाशंकर आर0 तिवारी द्वारा माननीय कुलपति जी को सम्बोधित ई-मेल से प्रेषित पत्र दिनांक 11.04.2023 के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनका इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सह-आचार्य, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा के पद पर दिनांक 10.08.2022 को स्थायीकरण हो गया है। तद्क्रम में डॉ0 तिवारी द्वारा इस विश्वविद्यालय से स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश की तिथि से सहायक प्राध्यापक, होटल प्रबन्धन के पद से त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। डॉ0 जटाशंकर आर0 तिवारी द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित अनुरोध पत्र पर माननीय कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्क्रम में डॉ0 जटाशंकर आर0 तिवारी का सहायक प्राध्यापक, होटल प्रबंधन पद से दिनांक 09.08.2021 (अपरान्ह) से त्याग-पत्र स्वीकृत किया गया है।

निर्णयः- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपति जी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.08- श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक, संगीत द्वारा संगीत विभाग की मौखिक परीक्षाओं तथा कार्यशालाओं के देयकों के भुगतान हेतु प्रस्तुत बीजकों में परीक्षा नियंत्रक के फर्जी हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक, संगीत द्वारा संगीत विभाग की जनवरी, 2022 में आयोजित मौखिक परीक्षाओं तथा कार्यशालाओं हेतु विभिन्न विषय

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विशेषज्ञों के देयकों के भुगतान हेतु प्रस्तुत बीजकों में परीक्षा नियंत्रक के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है, जिसकी पुष्टि स्वंय परीक्षा नियंत्रक द्वारा की गयी है। प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्तर पर श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक, संगीत को एक चेतावनी पत्र निर्गत किया जा चुका है। तदक्रम में प्रकण माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णयः- कार्य परिषद द्वारा प्रकरण को अति संवेदनशील मानते हुए सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक संगीत के इस कृत हेतु एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने एवं परीक्षा संबंधी बीजकों को सत्यापित किये जाने पर 03 वर्ष का प्रतिबन्ध लगाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.09- उच्च शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र सख्या-512/XXIV-C1/ 2023-05(36)/2022, **दिनांक 24 मई, 2023 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में सत्रांत लाभ की व्यवस्था के संबंध में।**

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि उच्च शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन पत्र सख्या-**512/XXIV-C1/ 2023-05(36)/2022**, दिनांक 24 मई, 2023 द्वारा सत्रांत लाभ की व्यवस्था के संबंध में समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों को प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-**1424/XXIV(4)/2019-01(28)2016** दिनांक 06 सितम्बर, 2019 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम-2018 को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 में सत्रांत लाभ दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान नहीं है। अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 का समस्त विश्वविद्यालयों की परिनियामवलियों पर अध्यारोही प्रभाव है। अत: ऐसे राजकीय विश्वविद्यालय जिनकी परिनियमावली में सत्रांत लाभ की व्यवस्था विद्यमान है, को संगत परिनियमावली से विलोपित करने का कष्ट करें ताकि असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो। उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संत्रात लाभ की व्यवस्था विश्वविद्यालय परिनियमावली से विलोपित किये जाने के निर्देशानुसार प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः- प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, चूंकि सत्रांत लाभ की व्यवस्था विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित है जिसे विधानसभा द्वारा ही विलोपित किया जा सकता है। अतएव संबंधित प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा शासन को परिनियमावली में संशोधन हेतु निर्णय लेने के लिए पत्र प्रेषित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 37.10- शासनादेश संख्या-53/XXIV-C-1/2023-133/2012, **दिनांक 16 फरवरी, 2023 के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के 08 एवं ड्राईवर के 03 तथा शासनादेश संख्या-**508/XXIV-C-1/2023-01(11)/2023, **दिनांक 31 मई, 2023 के माध्यम से शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर के कुल 58 पदों के स्थायीकरण की सूचना।**

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि उच्च शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-**53/ XXIV-C-1/2023-133/2012**, दिनांक 16 फरवरी, 2023 के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के 08 एवं ड्राईवर के 03 कुल 11 तथा शासनादेश संख्या-**508/XXIV-C-1/2023-01(11)/2023**, दिनांक

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

31 मई, 2023 द्वारा विश्वविद्यालय हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से सृजित शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर के कुल 58 पदों के स्थायीकरण के आदेश निर्गत किये गये हैं। कनिष्ठ सहायक के 08 एवं ड्राईवर के 03 कुल 11 तथा शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर के कुल 58 पदों के स्थायीकरण के संबंध में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तथा पदों का स्थायीकरण किये जाने हेतु शासन की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि जो भी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक इन पदों पर नियुक्त हैं उनका संबंधित पदों पर स्थायीकरण कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 37.11- वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि निर्धारण नियमावली-2018 दिनांक 21 मई, 2018 तथा लिपिक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि निर्धारण (संशोधन) नियमावली-2015 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-**149/XXX(2)/2018-30(10)/2018**, दिनांक 21 मई, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली-**2018** प्रख्यापित है। लिपिक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-**153/XXX(2)/2015-3(2)2010**, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015 प्रख्यापित है। वैयक्तिक सहायक संवर्गीय तथा मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता संबंधी अर्हकारी सेवावधि संबंधित उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग की अधिसूचना संख्या-**149/XXX(2)/2018-30(10)/2018**, दिनांक 21 मई, 2018 तथा **153/XXX(2)/2015-3(2)2010**, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 को माननीय कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपतिजी के निर्णय/स्वीकृति अनुसार शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.12- श्री विमल कुमार, वैयक्तिक सहायक(आशुलिपिक ग्रेड-1) वेतनमान-29200-92300 लेवल- 5 से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक वेतनमान- 35400-112400 लेवल- 6 में पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया किये जाने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 28.06.2023 को विश्वविद्यालय मुख्यालय में बैठक

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

11/7/23
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सम्पन्न हुई। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि एवं न्यूनतम अर्हकारी सेवा के आधार पर श्री विमल कुमार, वैयक्तिक सहायक(आशुलिपिक ग्रेड-1) वेतनमान-29200-92300 लेवल- 5 को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया, तदनुसार वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक वेतनमान- 35400-112400 लेवल- 6 में पदोन्नत किये जाने की संस्तुति की गई। वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया किये जाने हेतु गठित विभागीय समिति की संस्तुतियां माननीय कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः- कार्य परिषद द्वारा वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया किये जाने हेतु गठित विभागीय समिति की संस्तुतियों पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.13- कनिष्ठ सहायक 08 वेतनमान-21700-69100 लेवल-3 से वरिष्ठ सहायक वेतनमान-29200-92300 लेवल-5 में पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया किये जाने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 01.07.2023 को विश्वविद्यालय मुख्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि एवं न्यूनतम अर्हकारी सेवा के आधार पर पदोन्नति हेतु विचाराधीन 08 कनिष्ठ सहायकों को पदोन्नत पद वरिष्ठ सहायक पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया, तदनुसार वरिष्ठ सहायक वेतनमान-29200-92300 लेवल-5 पर पदोन्नत किये जाने की निम्नानुसार संस्तुति की गई:-

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम	वर्तमान पद	वेतनमान	प्रोन्नत पदनाम	प्रोन्नत वेतनमान
1.	श्री बृजमोहन सिंह खाती	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल 03	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल 05
2.	श्री हेम चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल 03	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल 05
3.	श्री त्रिलोचन पाटनी	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल 03	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल 05
4.	श्री महबूब आलम	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल 03	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल 05
5.	श्री फिरोज खान	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल 03	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल 05
6.	श्री रविन्द्र कुमार कोहली	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल 03	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल 05
7.	श्री भारत नैनवाल	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल 03	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल 05
8.	श्री राहुल बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल 03	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल 05

मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया किये जाने हेतु गठित विभागीय समिति की संस्तुतियां माननीय कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

11/7/23
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया किये जाने हेतु गठित विभागीय समिति की संस्तुतियों पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.14- प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 के पद सृजन शासनादेश एवं स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने संबंधी शासनादेश में वर्णित वेतनमान में भिन्नता होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने के संबंध में सूचना।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया किये जाने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 01.07.2023 को विश्वविद्यालय मुख्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री परमेन्द्र सिंह परिहार, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 की पदोन्नति हेतु तैयार अधियाचन प्रपत्र एवं सेवा संबंधी ब्रॉड-शीट एवं वार्षिक गोपनीय आख्या का अवलोकन किया गया। श्री परमेन्द्र सिंह परिहार के मूल पद एवं स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने संबंधी शासनादेश में वर्णित वेतनमान में भिन्नता होने के कारण समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार मूल पद (प्रशासिनक अधिकारी ग्रेड-2) का लेवल 06 से लेवल 07 में शासन से परिवर्तन करवाने की संस्तुति की गई तथा मूल पद के लेवल परिवर्तन के उपरान्त ही विभागीय पदोन्नति पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया। श्री परमेन्द्र सिंह परिहार, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 की पदोन्नति प्रक्रिया किये जाने हेतु गठित विभागीय समिति की संस्तुतियां माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में श्री परमेन्द्र सिंह परिहार, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 की पदोन्नति प्रक्रिया किये जाने हेतु गठित विभागीय समिति की संस्तुतियों पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया, जिस पर ऑन-लाइन माध्यम से बैठक में उपस्थित अपर सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा भी सहर्ष स्वीकृति दी गई।

प्रस्ताव संख्या 37.15- प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, प्राध्यापक, प्रबन्ध अध्ययन के दिनांक 04 जनवरी, 2023 को विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने की सूचना।

प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र की नियुक्ति विश्वविद्यालय में दिनांक अगस्त 09, 2011 को सीधी भर्ती के माध्यम से प्राध्यापक, प्रबन्ध अध्ययन के पद पर हुई। प्रोफेसर मिश्र की वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण 65होने के फलस्वरूप दिनांक **04** जनवरी,202 **3** को विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये। विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः परिनियम 33(1) में वर्णित व्यवस्था एवं कार्य परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2021 में हुए निर्णयानुसार प्रोफेसर मिश्र को सेवानिवृत्ति के उपरान्त दिनांक 05 जनवरी, 2023 से शैक्षिक सत्र के अंत तक विश्वविद्यालय में पुर्ननियोजित किया गया प्रोफेसर मिश्र की पुर्ननियोजन की समयावधि दिनांक जून 30,202 **3** को पूर्ण हो चुकी है।

निर्णय:- प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, प्राध्यापक, प्रबन्ध अध्ययन के दिनांक 04 जनवरी, 2023 को विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने की सूचना से कार्य परिषद अवगत हुई।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 37.16- डॉ0 शंशाक शुक्ल, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी द्वारा जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू से कार्यमुक्त होने के उपरान्त दिनांक 27 जून, 2023 को विश्वविद्यालय में पुन: कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।

डॉ0 शंशाक शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी का जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू में सह-प्राध्यापक पद पर चयन होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार डॉ0 शुक्ला को पूर्व में दिनांक 13.12.2019 से दिनांक 12.12.2020 तक, दिनांक 13.12.2020 से दिनांक 12.12.**2021** तक, दिनांक 13.12.2021 से दिनांक 12.12.2022 तक एवं 13.12.2022 से दिनांक 12.12.2023 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश एवं धारणाधिकार कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। डॉ0 शंशाक शुक्ला द्वारा जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप दिनाकं 26.6.2023 के अपरान्ह में कार्यमुक्त होने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय में दिनांक 27.06.2023 के पूर्वान्ह में माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त सहायक प्राध्यापक, हिन्दी के पद पर पुन: कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपतिजी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.17- विश्वविद्यालय में अल्पकालिक/अस्थाई आधार पर नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर के कार्यकाल विस्तारीकरण के संबंध में सूचना/विचार।

विश्वविद्यालय में पर्याप्त शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन न होने के कारण शैक्षिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन की आवश्यकता हेतु समय-समय पर अल्पकालिक नियुक्ति जो एक बार में छ: माह से अनधिक हो, किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार समय-समय पर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर का नियोजन किया जाता रहा है।

वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की छ: माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि **दिनांक 30 जून, 2023** को पूर्ण होने के फलस्वरूप एक दिन का सेवा व्यवधान तथा दिनांक 02 जुलाई, 2023 को रविवार होने के कारण **दिनांक 03 जुलाई, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023** तक (छ: माह) सेवा विस्तारित की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त कैमरामैन एवं वीडिया एडिटर की छ: माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि दिनांक 28 फरवरी, 2023 को पूर्ण होने के फलस्वरूप संबंधित विभागाध्यक्ष से प्राप्त आख्या एवं कुलसचिव की संस्तुति के आधार पर एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ **दिनांक 02 मार्च, 2023 से दिनांक 30 अगस्त, 2023** तक (छ: माह) सेवा विस्तारित की गयी है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार माननीय कुलपतिजी द्वारा लिये गये निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

11/7/23
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 37.18- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की आवास आवंटन एवं वार्षिक मरम्मत नियमावली निर्मित किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की आवास आवंटन एवं वार्षिक मरम्मत नियमावली निर्मित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की दिनांक 24 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्क्रम में विश्वविद्यालय की आवास आवंटन एवं वार्षिक मरम्मत नियमावली को प्रख्यापित किया गया है तथा आवास आवंटित किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार के लिए दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को आवास आवंटन समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पारित निर्णयानुसार संबंधित आवेदनकर्ताओं को आवास आवंटित किये जा चुके हैं।उक्तानुसार उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की आवास आवंटन एवं वार्षिक मरम्मत नियमावली माननीय कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की आवास आवंटन एवं वार्षिक मरम्मत नियमावली निर्मित किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.19- विश्वविद्यालय हेतु सृजित सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों पर शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त सहायक कुलसचिव (02) के विश्वविद्यालय सेवाओं से कार्यमुक्त होने की सूचना।

विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव (वेतनमान ₹35400-112400 लेवल-6) के सृजित एवं रिक्त 06 पदों में से 03 पदों पर उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-336(1)/ XXIV-C-1/2021-01(04)2020, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा उत्तरांचल राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2006 में निहित प्राविधानानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर 03 कार्मिकों को विश्वविद्यालय में तैनाती प्रदान की गई थी। शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात उक्त 03 कार्मिकों में से 02 कार्मिकों द्वारा अपने पैतृक विभाग को कार्यमुक्त किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में श्री धीरज कुमार उपाध्याय को दिनांक 10 मई, 2023 (अपरान्ह) में तथा श्री जगमोहन सिंह मेहरा को दिनांक 13 जून, 2023 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त किया गया है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तथा अपर सचिव, उच्च शिक्षा से अनुरोध किया गया कि यथाशीघ्र विश्वविद्यालय को सहायक कुलसचिव उपलब्ध कराने हेतु सार्थक पहल करने का कष्ट करें।

प्रस्ताव संख्या 37.20- विश्वविद्यालय में शासन द्वारा नियुक्त श्री विमल कुमार मिश्र, उप कुलसचिव के विश्वविद्यालय सेवाओं से कार्यमुक्त होने की सूचना।

उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006 में वर्णित व्यवस्थानुसार उप कुलसचिव पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप उच्च शिक्षा (अनुभाग-6) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 223/XXIV(6)/2019-01(16)/2018 दिनांक 06 मार्च, 2019 द्वारा श्री विमल कुमार मिश्र की उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव पद पर तैनाती की गई, जिसके क्रम में श्री विमल कुमार मिश्र द्वारा उप कुलसचिव पद पर दिनांक 08 मार्च, 2019 (अपरान्ह) में कार्यभार ग्रहण किया गया। श्री विमल कुमार मिश्र की नियुक्ति हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून में उप परीक्षा नियंत्रक के पद पर सेवा स्थानान्तरण के

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

11/7/23
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

आधार पर होने के फलस्वरूप उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-595(1)/XXIV-C-1/2023-01(62)/2017, दिनांक 30 जून, 2023 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति एवं श्री विमल कुमार मिश्र द्वारा नव चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु कार्यमुक्त करने विषयक अनुरोध पर श्री मिश्र को दिनांक 05 जुलाई, 2023 के अपरान्ह में कार्यमुक्त किया गया है। सेवा स्थानान्तरण की अवधि में श्री विमल कुमार मिश्र, उप कुलसचिव का मूल विभाग में धारणाधिकार बना रहेगा।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया था जिससे परिषद अवगत हुई।

प्रस्ताव संख्या 37.21- विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 में विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 46 पाठ्यक्रमों की मान्यता हेतु यू0जी0सी0(डेब) को प्रेषित किया गया था, किन्तु यू0जी0सी0(डेब) द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित ई-मेल दिनांक 21 जून, 2023 के क्रम में केवल 03 पाठ्यक्रमों को ही मान्यता दी गयी है तथा शेष पाठ्यक्रमों पर विद्याशाखा वार निदेशकों, विषयों के अनुसार सहायक प्राध्यापकों आदि की कमी होने का उल्लेख करते हुए आपत्ति की गयी है तथा पाठ्यक्रमों की स्वीकृति को on hold दर्शाया गया है जिनका निराकरण शीघ्र किया जाना अपेक्षित है। तद्क्रम में माननीय कुलपति जी की स्वीकृति के क्रम में 08 सह-प्राध्यापकों को हेड ऑफ स्कूल (जो यू0जी0सी0 रेगुलेशन में वर्णित है), 08 सहायक क्षेत्रीय निदेशकों को उप-कुलसचिव बनाया गया है तथा 23 विषयों में 46 अस्थाई शिक्षकों को नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत छः माह की अनधिक अवधि हेतु नियोजित किये जाने हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 26वीं बैठक दिनांक **30 जून, 2023** की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.22- कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत सह-आचार्य(अकादमिक स्तर-13क से आचार्य (अकादमिक स्तर 14) में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 के प्रस्तर 10.0 तदनुसार उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/ 2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत विनियम 2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सह-आचार्य(अकादमिक स्तर-13क से आचार्य (अकादमिक स्तर 14) में प्रोन्नत किये जाने हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 2023 को विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुति सील बन्द लिफाफे में माननीय कार्य परिषद के सम्मुख खोले जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- प्रस्ताव के क्रम में कार्य परिषद के सम्मुख सील बन्द लिफाफा खोला गया तथा परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय, सह-आचार्य,कम्प्यूटर विज्ञान को विश्वविद्यालय

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

11/7/23
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

अनुदान आयोग विनियम-2018 में वर्णित कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत पात्रता की तिथि से अकादमिक स्तर 14 में पदनाम सहित प्रोन्नत किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। इस दौरान कार्य परिषद के सदस्य डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय, सह-आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान एवं डॉ0 मंजरी अग्रवाल, सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन बैठक से अनुपस्थित रहे :-

क्रम सं0	नाम एवं पदनाम	विषय	अकादमिक स्तर 14 में पदनाम सहित प्रोन्नित की तिथि
1.	डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय	कम्प्यूटर विज्ञान	07 जुलाई, 2023

प्रस्ताव संख्या 37.23- कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत सहायक-आचार्यों (चयन ग्रेड/अकादमिक स्तर-12) से सह-आचार्य (अकादमिक स्तर-13क) में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 के प्रस्तर 10.0 तदनुसार उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/ 2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत विनियम 2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक आचार्य को (चयन ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) से सह-आचार्य (अकादमिक स्तर 13-क) में प्रोन्नत किये जाने हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 09.07.2023 एवं दिनांक 10.07.2023 को विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुतियॉ सील बन्द लिफाफों में माननीय कार्य परिषद के सम्मुख खोले जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

<u>निर्णय:-</u> प्रस्ताव के क्रम में कार्य परिषद के सम्मुख सील बन्द लिफाफे खोले गये तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न 03 सहायक आचार्यों को पात्रता की तिथि से अकादमिक स्तर 13-क में पदनाम सहित प्रोन्नत किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। इस दौरान कार्य परिषद के सदस्य डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय, सह- आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान एवं डॉ0 मंजरी अग्रवाल, सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन बैठक से अनुपस्थित रहे :-

क्रम सं0	नाम एवं पदनाम	विषय	अकादमिक स्तर 13-क में पदनाम सहित प्रोन्नति की तिथि
1.	डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सहायक आचार्य	कृषि	10 अगस्त, 2023
2.	डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सहायक आचार्य	वानिकी	10 अगस्त, 2023
3.	डॉ0 दिनेश कुमार, सहायक आचार्य	शिक्षाशास्त्र	11 अगस्त, 2023

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

11/9/23
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 37.24- कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत सहायक आचार्यों (वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11) से सहायक आचार्य(वरिष्ठ ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) में प्रोन्नति हेतु छानबीन-सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 28(1) में कैरियर अभिवर्धन योजना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किये जाने का उल्लेख है। इस व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु परिनियम 29(1) में वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति के गठन का भी उल्लेख है। उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 जिसे उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत किया गया है, में वर्णित व्यवस्थानुसार कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत सहायक अचार्यों को अर्हता तिथि से वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 से अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य कराये जाने हेतु गठित वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति की बैठक दिनांक 08.07.2023 को विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुतियाँ सील बन्द लिफाफों में माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय:- प्रस्ताव के क्रम में कार्य परिषद के सम्मुख सील बन्द लिफाफे खोले गये परिषद द्वारा अवलोकनोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न सहायक आचार्यों को पात्रता की तिथि से वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य किये जाने हेतु गठित वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय, सह-आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान एवं डॉ0 मंजरी अग्रवाल, सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन बैठक से अनुपस्थित रहे:-

क्रम संख्या	संवीक्षा समिति की बैठक की तिथि	नाम एवं पदनाम	पात्रता की तिथि जिससे वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य हुआ है
1.	08.07.2023	डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक आचार्य, समाज कार्य	19 जुलाई, 2023
2.	08.07.2023	डॉ0 सुमित प्रसाद, सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन	19 जुलाई, 2023

प्रस्ताव संख्या 37.25- विश्वविद्यालय में नियुक्त सहायक आचार्यों की कैरियर अभिवर्धन योजना के प्रस्तर 10.0 के अधीन पुरानी नियमित सेवा जोड़े जाने के फलस्वरूप सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11) से सहायक आचार्य(वरिष्ठ ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) एवं (चयन ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) से सह-प्राध्यापक (अकादमिक स्तर 13-क) में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

11/7/23
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

के विनियम 2018 के प्रस्तर 10.0 तदनुसार उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत विनियम 2018 में वर्णित प्राविधानों एवं इस संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपिति सचिवालय, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 15 मार्च, 2023 के अनुपालन में डॉ0 कमल देवलाल, सहायक प्राध्यापक, भौतिकी की पूर्व नियमित सेवा (अन्य शैक्षिक संस्थानों में की गयी सेवा) अवधि की गणना करते हुए 07 वर्ष के कार्य अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिनांक 19 जुलाई, 2014 से उन्हें वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 के समकक्ष माना गया है। तदोपरान्त भौतिक विज्ञान विषय में (वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11) से सहायक आचार्य(वरिष्ठ ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) हेतु आयोजित वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन एवं (चयन ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) से सह-प्राध्यापक (अकादमिक स्तर 13-क) में प्रोन्नत किये जाने हेतु भौतिक विज्ञान एवं प्रबन्ध अध्ययन विषय में दिनांक 08 जुलाई, 2023 को आयोजित चयन समिति की संस्तुतियॉ सील बन्द लिफाफों में माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णयः- प्रस्ताव के क्रम में कार्य परिषद के सम्मुख सील बन्द लिफाफे खोले गये परिषद द्वारा भौतिक विज्ञान विषय में (वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11) से सहायक आचार्य(वरिष्ठ ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) एवं भौतिक विज्ञान व प्रबन्ध अध्ययन में पात्रता की तिथि से अकादमिक स्तर 13-क में पदनाम सहित प्रोन्नत किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी संस्तुति की गई कि पिछली सेवाओं का लाभ केवल वर्तमान के पदनाम में देय तिथि से अनुमन्य होगा तथा अन्य पिछली सेवाओं की गणना में कोई अन्य वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। इस दौरान कार्य परिषद के सदस्य डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय, सह-आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान एवं डॉ0 मंजरी अग्रवाल, सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन बैठक से अनुपस्थित रहे :-

वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य सहायक आचार्यः-

क्रम संख्या	संवीक्षा समिति की बैठक की तिथि	नाम एवं पदनाम	पात्रता की तिथि जिससे वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य हुआ है
1.	08.07.2023	डॉ0 कमल देवलाल, सहायक आचार्य, भौतिकी	06.04.2016 (कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा)

वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 13क अनुमन्य किये गये सहायक आचार्यः-

क्रम सं0	नाम एवं पदनाम	विषय	अकादमिक स्तर 13-क में पदनाम सहित अर्हता व प्रोन्नति की तिथि
1.	डॉ0 कमल देवलाल, सहायक आचार्य	भौतिकी	07 सितम्बर, 2019
2.	डॉ0 मंजरी अग्रवाल, सहायक आचार्य	प्रबन्ध अध्ययन	07 सितम्बर, 2019

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 37.26- दिनांक 6 एवं 7 जुलाई, 2023 को विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य(ए.सी.) के नियोजन हेतु आयोजित वॉक-इन-इन्टरव्यू की सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 में विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु यू0जी0सी0(डेब) को प्रेषित 46 पाठ्यक्रमों की सूची में से यू0जी0सी0(डेब) द्वारा विश्वविद्यालय के केवल 03 पाठ्यक्रमों को ही मान्यता दी गयी है तथा शेष पाठ्यक्रमों पर विद्याशाखा वार निदेशकों, विषयों के अनुसार सहायक प्राध्यापकों आदि की कमी होने का उल्लेख करते हुए आपत्ति की गयी है तथा पाठ्यक्रमों की स्वीकृति को on hold दर्शाया गया है जिनका निराकरण शीघ्र किया जाना अपेक्षित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2020 का शत-प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य है। तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा 23 विषयों में 46 अस्थाई शिक्षकों को नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत छ: माह की अनधिक अवधि हेतु नियोजित किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया है जिस पर दिनांक 06 एवं 07 जुलाई, 2023 को वॉक-इन-इन्टरव्यू सम्पन्न कराये गये हैं।

निर्णयः- प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 37.27- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 37.27.01- कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के पीएच0डी0 शोधार्थी श्री बालम सिंह दफौटी, नामांकन संख्या-19199875 की दिनांक 07.07.2023 को सम्पन्न मौखिक परीक्षा की आख्या का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के पीएच0डी0 शोधार्थी **श्री बालम सिंह दफौटी, नामांकन संख्या-19199875** शोध शीर्षक "Optimization of Learning Management System to Improve User Experience & Learner Retention: A case study of Uttarakhand Open University" हेतु पीएच0डी0 मौखिक परीक्षा डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय, शोध निदेशक एवं बाह्य विशेषज्ञ, प्रोफेसर राजीव सिंह द्वारा दिनांक 07.07.2023 को सम्पन्न करा ली गयी है। मौखिक परीक्षा की आख्या को माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

पीएच.डी. शोधार्थी का नाम	नामांकन संख्या	शोध निर्देशक	पीएच.डी. मौखिक परीक्षा की तिथि	विषय	शोध शीर्षक
बालम सिंह दफौटी	19199875	डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय	07 जुलाई, 2023	कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग	"Optimization of Learning Management System to Improve User Experience & Learner Retention: A case study of Uttarakhand Open University"

निर्णयः- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपतिजी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

11/7/23
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्त० प्रदेश)